राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

फा0 सं0 02/07/2020/एस–आई/96 दिनांक 24.04.2020

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण के कारण चिंतित है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने पर विचार किया गया है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति से निबटने के लिए समस्त अपेक्षित उपाय अपनाने कि लिए सर्वसंबंधित प्राधिकारियों को समय–समय पर विभिन्न आदेश/निदेश दिए गए हैं।

और जबकि, उत्तरवर्ती संख्या एफ0 02/07/2020/एस–आई/83 दिनांक 23.04.2020 के साथ पठित आदेश संख्या 2/07/2020/एस–आई/53 दिनांक 15.04.2020 द्वारा कोविड–19 को नियंत्रण करने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभागों द्वारा किये जाने वाले उपायों से संबंधित समेकित संशोधित दिशा–निर्देशों को जारी किया गया।

और जबकि, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 21.04.2020 द्वारा यह सूचित किया है कि उपर्युक्त आदेशों के तहत जारी किए गए दिशा–निर्देशों में पहले से अनुमत श्रेणियों के भीतर विशिष्ट सेवाओं/गतिविधियों की छूट के संबंध में कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं;

और जबकि, यह स्पष्ट किया गया है किः

(i) खण्ड 8 (i) के अंतर्गत सामाजिक क्षेत्र में उनके घरों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के बेड साइड अटेंडेंट और केयर गिवर्स शामिल हैं।

(ii) खंड 11 (v) के तहत सार्वजनिक उपयोगिताओं में प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज सुविधाएं शामिल हैं।

(iii) खंड 13 (i) के तहत आवश्यक सामानों की आपूर्ति में शहरी क्षेत्रों में स्थित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ शामिल हैं जैसा कि ब्रेड कारखानें, दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र, आटा मिलें, दाल मिलें आदि।

और जबकि, यह दोहराया जाता है कि कार्यालयों, वर्कशापों, कारखानों और संस्थापनाओं में लिए सोशल डिस्टेंसिग बनाये रखने के लिये लॉकडाउन के उपायों में यथाविनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय कोविड–19 निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिए।

अतः, अब, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 22 के तहत निहित शक्तियों का अनुपालन करते हुए, राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में अधोहस्ताक्षरी, इसके द्वारा संबंधित प्राधिकरणों को निर्देश जारी किये जाते हैं कि वे इन स्पष्टीकरणों को अपने जिला प्राधिकारियों और क्षेत्रीय कार्यालयों की जानकारी में लाएं ताकि जमीनी स्तर पर अस्पष्टता से बचा जा सके।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/ विभागाध्यक्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
3. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्।
4. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को व्यापक प्रचार हेतु।
5. आयुक्त (दक्षिण दिल्ली नगर निगम/पूर्व दिल्ली नगर निगम/उत्तर दिल्ली नगर निगम)।
6. सीईओ, दिल्ली छावनी बोर्ड।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

7. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

8. सचिव, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

9. अपर मुख्य सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

10. प्रधान सचिव (स्वा0 एवं परि0 कल्या0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

11. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

12. राज्य कार्यकारी समिति, समस्त सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

13. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को व्यापक प्रचार हेतु।

14. एसआईओ, एनआईसी को दिल्ली सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

15. गार्ड फाईल।